

न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी०आर०नं०:-768 / 2018

गोह थाना कांड संख्या :-180 / 2018

21.10.2021

आवेदकगण नामतः मो० मिन्साज, मो० दिलसाज, मो० इरसाद एवं नबी जहाँ खातून की ओर से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, तत्पश्चात् आवेदकगण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई ।

वाद पुकार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते हैं कि आवेदकगण निर्दोष हैं और उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । आवेदकगण की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया है । आवेदकगण के विरुद्ध संज्ञान ली गई सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का हैं । अतः आवेदकगण को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उपरोक्त आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323, 337 एवं 504/34 भा०दं०सं० के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है । उपरोक्त सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का हैं । आवेदकगण स्वतः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किये हैं । अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदकगण का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त अभियुक्तगण को मो०-10000X2 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।

उ० अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।